# फर्द अहकाम

## कार्यालय जिला कलक्टर राजसमन्द

श्री हीरालाल पिता श्री रामा बलाई निवासी कुण्डेली पोस्ट सांगावास तहसील देवगढ जिला राजसमन्द

— अपीलांट

**बनाम**

लोक सूचना अधिकारी उपखण्ड अधिकारी, भीम

— रेस्पोण्डेंट

**किस्म मुकदमा**— अपील सूचना का अधिकार **पत्रावली संख्या** 43/2018

| कमांक | कार्यवाहिक विवरण | हस्ताक्षर पार्टी तथा सूचनाएं जारी की गई |
|---|---|---|
| | **दिनांक 15.01.2019**<br><br>पत्रावली पेश हुई। अपीलार्थी अनुपस्थित। अपीलार्थी द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 अन्तर्गत वांछित सूचना लोक सूचना अधिकारी, उपखण्ड अधिकारी, भीम से प्राप्त नही होने से इस कार्यालय में सूचना प्राप्ति हेतु प्रेषित प्रथम अपील को दर्ज रजिस्टर किया जाकर लोक सूचना अधिकारी उपखण्ड अधिकारी, भीम को वांछित सूचना अपीलार्थी को उपलब्ध कराते हुए रिपोर्ट इस न्यायालय में भिजवाने हेतु निर्देशित किया गया।<br>लो0सू0 अधिकारी उपखण्ड अधिकारी, भीम द्वारा जरिये पत्रांकः— सू.अ. रीडर/2019/31—32 दिनांक 08.01.2019 से रिपोर्ट प्रेषित की गयी। रिपोर्ट मे यह तथ्य अंकित किया है कि अपीलार्थी द्वारा बिन्दु संख्या 1 से 4 तक चाही गई वांछित सूचना के संबंधी आवंटन पत्रावली रिकॉर्ड शाखा से ढुंढने की कार्यवाही जारी है। जैसे ही पत्रावली उपलब्ध हो जायेगी अपीलार्थी को सूचना उपलब्ध करा दी जावेगी। यदि आवंटन पत्रावली में पट्टे की प्रति उपलब्ध होगी तो अपीलार्थी को उपलब्ध करा दी जावेगी। बिन्दु संख्या 3 की प्रति अपीलार्थी को दिनांक 14.10.1976 आवंटन रजिस्ट्रर की छाया प्रति सलग्न पत्र के अपीलार्थी को भिजवाई गई।<br>लोक सूचना अधिकारी, उपखण्ड अधिकारी, भीम की रिपोर्ट का अवलोकन किया गया।<br>लोक सूचना अधिकारी, उपखण्ड अधिकारी, भीम को निर्देशित किया जाता है कि आपके कार्यालय के रेकार्ड शाखा से 15 दिवस मे पत्रावली की तलाशी करवाई जाकर अपीलार्थी को चाही गयी सूचना उपलब्ध करवाया जाना सुनिश्चित करें।<br>अपीलार्थी एवं लोक सूचना अधिकारी, उपखण्ड अधिकारी, भीम को निर्णय की प्रति प्रेषित की जावे। पत्रावली फैसल शुमार होकर दर्ज रजिस्टर नं0 से कम की जाकर दाखिल दफ्तर हो।<br><br>लोक सूचना अपीलीय अधिकारी<br>(जिला कलक्टर)राजसमन्द | |

जिला कलक्टर

Scanned by CamScanner